

वरिष्ठ सहायकों के विकल्प / अनुरोध / प्रत्यावेदन पत्रों का विवरण

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कार्मिक का नाम	स्थानान्तरण चाहने हेतु विकल्प										अभियुक्ति				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	श्री०मा० केन्द्र, हल्द्वानी	कु० मनीषा पन्त	जिसका बागेश्वर	शिमका बागेश्वर	जिसका पिथौरागढ़	शिमका पिथौरागढ़	शिमका चम्पावत	जिसका चम्पावत	शिमका कालसी							अनुरोध / प्रत्यावेदन संलग्न है	
2	जिला सेवा कार्यालय, उधमसिंहनगर	श्री सुरेश पाठक	शिमका बागेश्वर	जिसका बागेश्वर	जिसका पिथौरागढ़	शिमका पिथौरागढ़	जिसका चम्पावत	शिमका चम्पावत	शिमका धारचूला	क्षेत्रका लैसडौन	क्षेत्रका लैसडौन	जिसका कालसी				अनुरोध / प्रत्यावेदन संलग्न है	
3	सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी	श्री राजेश कुमार सिंह भाकुनी	विकल्प अप्राप्त										अनुरोध / प्रत्यावेदन संलग्न है				
4	सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी	श्री नवीन भट्ट	विकल्प अप्राप्त										अनुरोध / प्रत्यावेदन संलग्न है				
5	सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी	श्रीमती यामिनी त्रिपाठी	जिसका चम्पावत	जिसका बागेश्वर	जिसका उत्तरकाशी	क्षेत्रका लैसडौन	जिसका रुद्रप्रयाग	जिसका चमोली	शिमका उत्तरकाशी	शिमका चम्पावत	शिमका गोपेश्वर	शिमका कालसी					
6	क्षेत्रीय सेवा० कार्यालय, अल्मोड़ा	श्री भुवनेश काण्डवाल	पिथौरागढ़	जिसका बागेश्वर	जिसका पिथौरागढ़	जिसका बागेश्वर	शिमका धारचूला	जिसका नैनीताल	शिमका नैनीताल	शिमका हल्द्वानी	शिमका हल्द्वानी	शिमका चम्पावत	शिमका चम्पावत	शिमका अल्मोड़ा			
7	नगर सेवा कार्यालय, काशीपुर	श्री पाकेश सिंह	क्षेत्रका लैसडौन	जिसका चम्पावत	शिमका चम्पावत	जिसका बागेश्वर	शिमका बागेश्वर	जिसका पिथौरागढ़	शिमका नैनीताल	नसेका हल्द्वानी	जिसका कालसी	शिमका कालसी	शिमका रुद्रप्रयाग	शिमका कालसी			
8	नगर सेवा कार्यालय, रानीखेत	श्री विजय सिंह नेगी	शिमका बागेश्वर	जिसका बागेश्वर	शिमका चम्पावत	जिसका चम्पावत	शिमका चम्पावत	क्षेत्रका लैसडौन	क्षेत्रका लैसडौन	क्षेत्रका लैसडौन	जिसका कालसी	जिसका कालसी	जिसका कालसी	जिसका गोपेश्वर			
9	नगर सेवा कार्यालय, चौड़ी	श्री शिवराज चंद्र	नसेका पौड़ी	क्षेत्रका लैसडौन	क्षेत्रका युईबी श्रीनगर	शिमका कोटद्वार	शिमका प्रवर्तन	जिसका रुद्रप्रयाग	जिसका टिहरी	जिसका चमोली	जिसका हरिद्वार	जिसका हरिद्वार	क्षेत्रका देहरादून	क्षेत्रका कालसी			
10	जिला सेवा कार्यालय, रुद्रप्रयाग	श्री नीलकंठ जोशी	शिमका रुद्रप्रयाग	क्षेत्रका देहरादून	शिमका देहरादून	शिमका प्रवर्तन	शिमका कालसी	शिमका कालसी	जिसका टिहरी	जिसका चमोली	जिसका हरिद्वार	शिमका हरिद्वार	नसेका पौड़ी	क्षेत्रका लैसडौन			
11	जिला सेवा कार्यालय, पिथौरागढ़	श्री नवीन महर	शिमका पिथौरागढ़	शिमका चम्पावत	जिसका चम्पावत	शिमका हल्द्वानी	शिमका हल्द्वानी	नसेका हल्द्वानी	नसेका हल्द्वानी	क्षेत्रका अल्मोड़ा	नसेका रामनगर	नसेका रामनगर	शिमका दिनेशपुर	शिमका खदीमा			
12	जिला सेवा कार्यालय, चम्पावत	श्री सुरेश कुमार आर्या	निदेशालय हल्द्वानी	नसेका हल्द्वानी	शिमका हल्द्वानी	शिमका हल्द्वानी	शिमका दिनेशपुर	जिसका उधमसिंह	नसेका काशीपुर	नसेका रामनगर	यूईबी रुडकी नगर	प्रवर्तन देहरादून	शिमका देहरादून				
13	जिला सेवा कार्यालय, बागेश्वर	श्री हेमन्त कुमार पाण्डेय	जिसका बागेश्वर	शिमका बागेश्वर	क्षेत्रका अल्मोड़ा	जिसका नैनीताल	नसेका हल्द्वानी	निदेशालय हल्द्वानी	शिमका हल्द्वानी								
14	श्री०मा० केन्द्र, खदीमा	श्री पवन राणा	स्थानान्तरण हेतु जारी पात्रता सूची में स्थान नहीं है।										अनुरोध / प्रत्यावेदन संलग्न है				

(जे० एस० नागन्याल) 18  
निदेशक



सेवा में,

निदेशक

सेवायोजन विभाग,

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

उत्तराखण्ड (हल्द्वानी)

विषय : वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अधीन स्थानान्तरण विकल्प के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या: 06-07/डीटीईयू/ई-1/स्थाना0 अधि0-2018/स्थाना/2018-19 दिनांक 14 अप्रैल 2018 एवं पत्र:104/डीटीईयू/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2018 दिनांक 20 अप्रैल 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्रों के माध्यम से वार्षिक स्थानान्तरण एक्ट के अधीन किये जाने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु पात्रता कार्मिकों की सूची एवं पात्र कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगे गये हैं।

तद्विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति तत्कालीन निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश संख्या: 11728-26/डीटीईयू/कनि0लि0/नियु0/स्था0निदे0/2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 के अनुपालन में दिनांक 27 नवम्बर 2008 को निदेशालय में सीधी भर्ती के रिक्त पर पर हुई थी।

सेवायोजन निदेशालय के लिपिक वर्ग के पदों को विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के पदों से प्रारम्भ से अलग रखा गया है जिसकी पुष्टि निम्न बिन्दुओं से की जा सकती है

बिन्दु 1- वर्तमान में प्रभावी 30 नवम्बर 1981 की विभागीय लिपिक वर्ग सेवानियमावली-1981" जिसके तहत विभाग के लिपिक वर्ग के कार्यो यथा नियुक्ति/स्थाईकरण/पदोन्नति आदि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है, के भाग-एक सामान्य के 3(च) एवं (छ) में क्षेत्र एवं निदेशालय(मुख्यालय) के लिपिक वर्ग के पदों का सृजन पृथक-पृथक किया गया है। उक्त नियमावली के परिशिष्ट "क" के अन्तर्गत पदों की संख्या भी अलग-अलग निर्धारित की गयी है।

बिन्दु 2- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 2605/औ0वि0/147-श्रम/2001, दिनांक 03 दिसम्बर 2001 द्वारा सृजित विभागीय ढाँचे एवं समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत सेवायोजन निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर सृजित लिपिक वर्ग के पदों को पृथक से दर्शाया गया है।

बिन्दु 3- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1190/VIII/12-33(सेवा)/2010, दिनांक 10 दिसम्बर 2012 एवं शासनादेश संख्या: 90/XXX(2)/2016-30(51)/15, दिनांक 27 जुलाई 2016 द्वारा लागू स्टाफिंग पैटर्न में भी सेवायोजन निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर लिपिक वर्ग के पदों को अधीनस्थ कार्यालय के लिपिकीय पदों से पृथक दर्शाया गया है।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि निदेशालय के कार्मिकों के पदों को क्षेत्र के कार्यालय के पदों से पृथक रखने का मुख्य कारण यहाँ पर कार्य की प्रकृति हैं, जो कि अधीनस्थ कार्यालयों से पूर्णतया भिन्न व प्रकृति में विशेषज्ञता पर केन्द्रित हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमावलियों एवं शासनादेशों द्वारा सेवायोजन निदेशालय के 11(ग्यारह) पदों को पृथक दर्शाया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी निदेशालय का कार्मिक है एवं निदेशालय के पदों पर नियुक्त रहने का पात्र है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगति रखते हुए अधोहस्ताक्षरी का नाम स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची से हटाने की कृपा करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह भाकुनी)

वरिष्ठ सहायक,

सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी



सेवा में,

निदेशक

सेवायोजन विभाग,

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

उत्तराखण्ड (हल्द्वानी)

विषय : वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अधीन स्थानान्तरण विकल्प के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या: 06-07/डीटीईयू/ई-1/स्थाना0 अधि0-2018/स्थाना/2018-19 दिनांक 14 अप्रैल 2018 एवं पत्र:104/डीटीईयू/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2018 दिनांक 20 अप्रैल 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्रों के माध्यम से वार्षिक स्थानान्तरण एक्ट के अधीन किये जाने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु पात्रता कार्मिकों की सूची एवं पात्र कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगे गये हैं।

तद्विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति तत्कालीन निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश संख्या: 11728-26/डीटीईयू/कनि0लि0/नियु0/स्था0निदे0/2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 के अनुपालन में दिनांक 27 नवम्बर 2008 को निदेशालय में सीधी भर्ती के रिक्त पर पर हुई थी।

सेवायोजन निदेशालय के लिपिक वर्ग के पदों को विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के पदों से प्रारम्भ से अलग रखा गया है जिसकी पुष्टि निम्न बिन्दुओं से की जा सकती है

बिन्दु 1- वर्तमान में प्रभावी 30 नवम्बर 1981 की विभागीय लिपिक वर्ग सेवानियमावली-1981" जिसके तहत विभाग के लिपिक वर्ग के कार्यो यथा नियुक्ति/स्थाईकरण/पदोन्नति आदि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है, के भाग-एक सामान्य के 3(च) एवं (छ) में क्षेत्र एवं निदेशालय(मुख्यालय) के लिपिक वर्ग के पदों का सृजन पृथक-पृथक किया गया है। उक्त नियमावली के परिशिष्ट "क" के अन्तर्गत पदों की संख्या भी अलग-अलग निर्धारित की गयी है।

बिन्दु 2- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 2605/औ0वि0/147-श्रम/2001, दिनांक 03 दिसम्बर 2001 द्वारा सृजित विभागीय ढाँचे एवं समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत सेवायोजन निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर सृजित लिपिक वर्ग के पदों को पृथक से दर्शाया गया है।

बिन्दु 3- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1190/VIII/12-33(सेवा)/2010, दिनांक 10 दिसम्बर 2012 एवं शासनादेश संख्या: 90/xxx(2)/2016-30(51)/15, दिनांक 27 जुलाई 2016 द्वारा लागू स्टाफिंग पैटर्न में भी सेवायोजन निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर लिपिक वर्ग के पदों को अधीनस्थ कार्यालय के लिपिकीय पदों से पृथक दर्शाया गया है।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि निदेशालय के कार्मिकों के पदों को क्षेत्र के कार्यालय के पदों से पृथक रखने का मुख्य कारण यहा पर कार्य की प्रकृति हैं, जो कि अधीनस्थ कार्यालयों से पूर्णतया भिन्न व प्रकृति में विशेषज्ञता पर केन्द्रित है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमावलियों एवं शासनादेशों द्वारा सेवायोजन निदेशालय के 11(ग्यारह) पदों को पृथक दर्शाया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी निदेशालय का कार्मिक है एवं निदेशालय के पदों पर नियुक्त रहने का पात्र है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी का नाम स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची से हटाने की कृपा करें।

भवदीय  
(नवीन चन्द्र भट्ट)

वरिष्ठ सहायक,  
सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी

